File No. T-15012/1/2022-Training-एफएसएसएआई-Part(2) (Computer No: 11320)

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)

प्रशिक्षण प्रभाग

दूसरी मंजिल, एमएमयू बिल्डिंग, माता सुंदरी रोड, नई दिल्ली- 110002

दिनांक 01 अप्रैल 2024

सूचना

विषय: ट्रेनिंग पार्टनर मैसर्स इंडस्ट्रियल इनक्यूबेशन उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण महासंघ (आईआईइसटी), टीपी आईडी: TPINT133 के छह माह की अवधि के लिए फोस्टैक कार्यक्रम से निलंबन करने हेतु -Reg.

यह औपचारिक सूचना है जो की 'औद्योगिक उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण महासंघ (आईआईइसटी)', प्रशिक्षण भागीदार आईडी: TPINT133 को फोस्टैक कार्यक्रम से तत्काल प्रभाव से छह माह की अवधि के लिए निलंबित किया जाता है।

2. उक्त निर्णय प्रशिक्षण भागीदार 'औद्योगिक उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण महासंघ (आईआईइसटी)', प्रशिक्षण भागीदार आईडी: TPINT133 के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की गहन समीक्षा के बाद लिया गया है, जिन्होंने FBOs/प्रशिक्षुओं से फोस्टैक पाठ्यक्रमों के लिए एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित दर से अधिक प्रशिक्षण शुल्क लिया है और नोटपैड पे एफएसएसएआई लोगो का अनधिकृत उपयोग किया है। इस संबंध में, प्रशिक्षण भागीदार को दिनांक 5 मार्च, 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

3. उक्त के अनुपालन में प्रशिक्षण भागीदार से प्राप्त जवाबों की समीक्षा उपरांत, सक्षम प्राधिकारी द्वारा 'औद्योगिक उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण महासंघ (आईआईइसटी)', प्रशिक्षण भागीदार आईडी: TPINT133 को फोस्टैक कार्यक्रम से छह माह की अवधि के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि प्रशिक्षण भागीदार द्वारा कारण बताओ नोटिस के खिलाफ प्रस्तुत तर्क असन्तोषजनक/असंबद्ध और निम्नलिखित मामलों में निर्दोष साबित करने के लिए अपर्याप्त माने गए:

i. **कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने में विफलता**: प्रशिक्षण भागीदार, औद्योगिक उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण संघ (आईआईइसटी), कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित आरोपों के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करने में असमर्थ रहा है।

ii. **फोस्टैक दिशानिर्देशों और परामर्शों का पालन करने में विफलता**: FBOs/प्रशिक्षुओं से फोस्टैक पाठ्यक्रमों के लिए एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित दर से अधिक प्रशिक्षण शुल्क लेने और प्रशिक्षण सत्रों के दौरान उपयोग किए जाने वाले नोटपैड पर एफएसएसएआई लोगो का अनाधिकृत उपयोग, एफएसएसएआई के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा जारी 6 अप्रैल 2022 की परामर्शिका का उल्लंघन हैं।

4. उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित कार्यवाही की जाती है:

प्रशिक्षण भागीदार 'औद्योगिक उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण महासंघ (आईआईइसटी)' का छह माह की अवधि के लिए निलंबित किया जाता है और साथ ही चेतावनी दी जाती है की इस तरह की या किसी अन्य धोखाधड़ी या एफएसएसएआई मानदंडों के पालन न करने की स्तिथि में स्थायी निलंबन हो सकता है।

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया गया है।

Virendra Singh

(विरेन्द्र सिंह शेखावत)
प्रबंधक (प्रशिक्षण)

अनुलिपि प्रेषितव्य :

1. सभी क्षेत्रीय निदेशक-एफएसएसएआई - सूचनार्थ ।
2. सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन - अग्रिम कार्यवाही हेतु, यदि कोई हो।
3. सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग- व्यापक प्रसार के लिए एफएसएसएआई वेबसाइट पर अपलोड करने के हेतु ।